ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.2020	राजस्व वाद संख्या 57/2019 अनवान मोहनसिंह बनाम सरकार वगैरा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकुलाय उपस्थित। वादी द्वारा उपरोक्त वाद घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत वाद में अभिवचन रहे हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा लिछमणसिंह के वारिस हैं। लिछमणसिंह के एक पुत्र हुए अमरसिंह वादी एवं प्रतिवादीगण अमरसिंह के वारीस हैं। अमरसिंह के चार पुत्र हुए जिनका सजरा वाद पत्र में पद संख्या 1 में अंकित हैं ग्राम बड़लानगर पटवार हल्का झंवर के खसर नं. 459 रकबा 72 बीघा, खसरा 1006 रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा, खसरा 1211 रकबा 70 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 177 बीघा 04 बिस्वा कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैत्रक पुष्तैनी कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 4 से 8 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा तथा इसी हिस्से अनुसार काबिज हैं। उक्त भूमि का कभी भी बाईसीट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा नहीं हुआ था विवाद ग्रस्त भूमि सामलाती पैत्रक भूमि हैं परन्तु उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में तथाकथित बंटवाडा दशाते हुए भूमि अलग–अलग खातों में दर्ज कर दी गई जबकि कानूनी तौर पर तथाकथित वर्णित बंटवाडा किया ही नहीं जा सकता हैं जो बंटवाडा पूर्णत झुठ हैं तथा प्रभावहीन हैं तथा उक्त अनुसार मौके पर कब्जा भी नहीं हैं ऐसी स्थिति में विवादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बाई सीट्स एण्ड बाउण्ड वाद पत्र के पद सं. 5 में वर्णितानुसार घोषणा की जाकर बंटवाडा किया जावे तथा तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाकर तामील की जाने की प्रार्थना की। वादी का उपरोक्त वाद दर्ज़ रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी सं. 3 से 8 तक जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया जबावदावा पेश किया तथा राजीनामा प्रस्तुत कर वादपत्र में वर्णित कथनों को स्वीकार किया एवं राजीनामा के तहत वादी द्वारा वाछित अनुरोध प्रदान करने एवं वादपत्र में वर्णितानुसार बंटवाडा किए जाने की सहमति प्रदान की। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 गोरधनसिंह स्वयं उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र पेश कर वादपत्र के पद सं. 5 में वर्णितानुसार बंटवाडा किए जाने हेतु सहमति दी तथा स्वयं के खाते में 45 बीघा भूमि को वाद पत्र में अंकित की का बंटवाडा किए जाने का कथन किया एवं बंटवाडा हेतु सहमति प्रदान की।	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली पर आये दस्तावेजो का अवलोकन किया। सुना गया। वादी का कथन रहा हैं कि वादपत्र में वर्णित भूमि पैत्रक कृषि भूमि हैं जो अमरसिंह की खातेदारी की भूमि रही हैं तथा अमरसिंह के बाद वादी एवं प्रतिवादीगण काबिज हुए तथा उनके मध्य किसी भी रूप में बंटवाडा नहीं हुआ परन्तु तथाकथित बंटवाडे के आधार पर भूमि अलग-अलग खातो में दर्ज कर दी गई जबकि कानूनीतौर पर ऐसा बंटवाडा किया ही नहीं जा सकता था तथा वाद पत्र के पद सं. 5 में वर्णितानुसार घोषणा व बंटवाडा किया जाकर राजस्व रेकर्ड को दुरस्त करने एवं तदनुसार तामील की जाकर राजस्व रेकर्ड तैयार किया जाने का कथन एवं अनुरोध रहा हैं। उक्त अनुरोध एवं अभिवचन को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृति प्रदान की एवं सहमति प्रदान की जिसके लिए लिखित में जवाबदावा एवं राजीनामा प्रस्तुत किया हैं ऐसी स्थिति में विविध प्रावधानों के अनुसार जब वाद कार्यवाही में वादी के वाद को प्रतिवादीगण सहमति प्रदान कर देते हैं तथा स्वीकृति दे देते हैं तो कानूनीतौर पर वादी के वाद का निर्णय किया जा सकता हैं ऐसी स्थिति में उपरोक्त स्वीकृति होने के बाद उपरोक्त वाद में कोई विवाद दोष नहीं रह जाता हैं इन तमाम परिस्थितियों में वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री दिया जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड को दुरस्त किया जाना तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य बंटवाडा, प्राथमिक डिक्री पारित की गई। राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारों के मध्य उक्त कृषि भूमि का बंटवाडा बाईमीट्स एवं बाउण्ड करने हेतु तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी होकर तद्नुसार बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2020/4571 दिनांक 27.02.2020 संलग्न मौका फर्द दिनांक 10.02.2020 के द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तद्नुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता हैं। बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न मौका फर्द दिनांक 10.02.2020 डिक्री का अंग शुमार हो। तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी होकर मौका फर्द दिनांक 10.02.2020 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

18/03/20

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner